न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 210/2023 दायर दिनांकः 04.8.2023
GCMS NO:- 2023/342 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. कैलाशी पुत्री घांसी जाति बैरवॉ नि0 नाहरगंज हाल पत्नी नहनू जाति बैरवॉ नि0 सगतपुरा तहसील नैनवॉ।
2. गीता पुत्री घांसी जाति बैरवॉ नि0 नाहरगंज हाल पत्नी बंशीलाल जाति बैरवॉ नि0 सरगांव तहसील सालडा जिला भीलवाडा।
3. मोहनी पुत्री घांसी जाति बैरवॉ नि0 नाहरगंज हाल पत्नी कैलाश नि0 टाकावास तहसील सावर जिला अजमेर।
4. रामकली पुत्री घांसी जाति बैरवॉ नि0 नाहरगंज हाल पत्नी बैजनाथ नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
5. शिवचरण पुत्र घांसी जाति बैरवॉ नि0 नाहरगंज तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत बालापुरा पंचायत समिति नैनवॉ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत बालापुरा पंचायत समिति नैनवॉ।
3. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या नया 218 पुराना 214 की कृषि भूमि खसरा संख्या 554 रकबा 0.6634 हैक्टयर, खसरा नम्बर 666/276 रकबा 2.4270 हैक्टयर स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 666/276 मे जाने का एकमात्र रास्ता नाहरगंज से समिधि जाने वाली आम सडक के पूर्वी ओर स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 662/250 जो कि ग्राम पंचायत बालापुरा के खातेदारी दर्ज है एवं खसरा नम्बर 252 जो कि सिवायचक गै0मु0 बाडी दर्ज है, की भूमि मे होता हुआ निकला हुआ है जिसे नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से अ ब के रूप मे दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पर जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है।

यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह खसरा नम्बर 662/250 एवं 252 मे से 25 फीट चौडा रास्ता पश्चिम से पूर्व संपूर्ण लम्बाई मे नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार अपने खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 666/276 मे पहुचने के एक मात्र रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे करवाये। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपार एवं अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप मे कदापि संभव नही होगी तथा उक्त रास्ते मे आने वाली भूमि का माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण प्रतिकर राशि भी जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व दिनांक 18.12.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/23 दिनांक 25.06.2025 से प्राप्त हो चुकी है।

बहस एकपक्षीय प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नाहरगंज मे स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर

666/276 पर जाने का एकमात्र रास्ता नाहरगंज से समिधि जाने वाली आम सडक के पूर्वी ओर स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 662/250 जो कि ग्राम पंचायत बालापुरा के खातेदारी दर्ज है एवं खसरा नम्बर 252 जो कि सिवायचक गै0मु0 बाडी दर्ज है, की भूमि मे होता हुआ निकला हुआ है जिसे नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से अ ब के रूप मे दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पर जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाने का आदेश फरमावें। साथ ही निवेदन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 मे भी प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते को दिया जाना उचित बताया है।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी एकपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 666/276 पर जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 के अनुसार ग्राम नाहरगंज स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 666/276 पर आने जाने के लिए नाहरगंज से समिधि जाने वाली आम सडक के पूर्वी और स्थित खसरा नम्बर 662/250 व 252 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट **क** नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x चौडाई	क्षेत्रफल
252	सिवायचक (सरकारी)	गै0मु0 बाडी	5 गट्ठा	x 2 गट्ठा	10 वर्गगट्ठा **अर्थात 0.0040 हैक्टयर**
662/250	ग्रा0प0बालापुरा (खातेदारी)	गै0मु0 आबादी	10 गट्ठा	x 2 गट्ठा	20 वर्गगट्ठा **अर्थात 0.0080 हैक्टयर**

कुल क्षेत्रफल = 30 वर्गगट्ठा या 0.0120 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

NIC-BHUNAKSHA

: 24/06/2025 01:33:38 PM

()

: . . . :

:

:

:

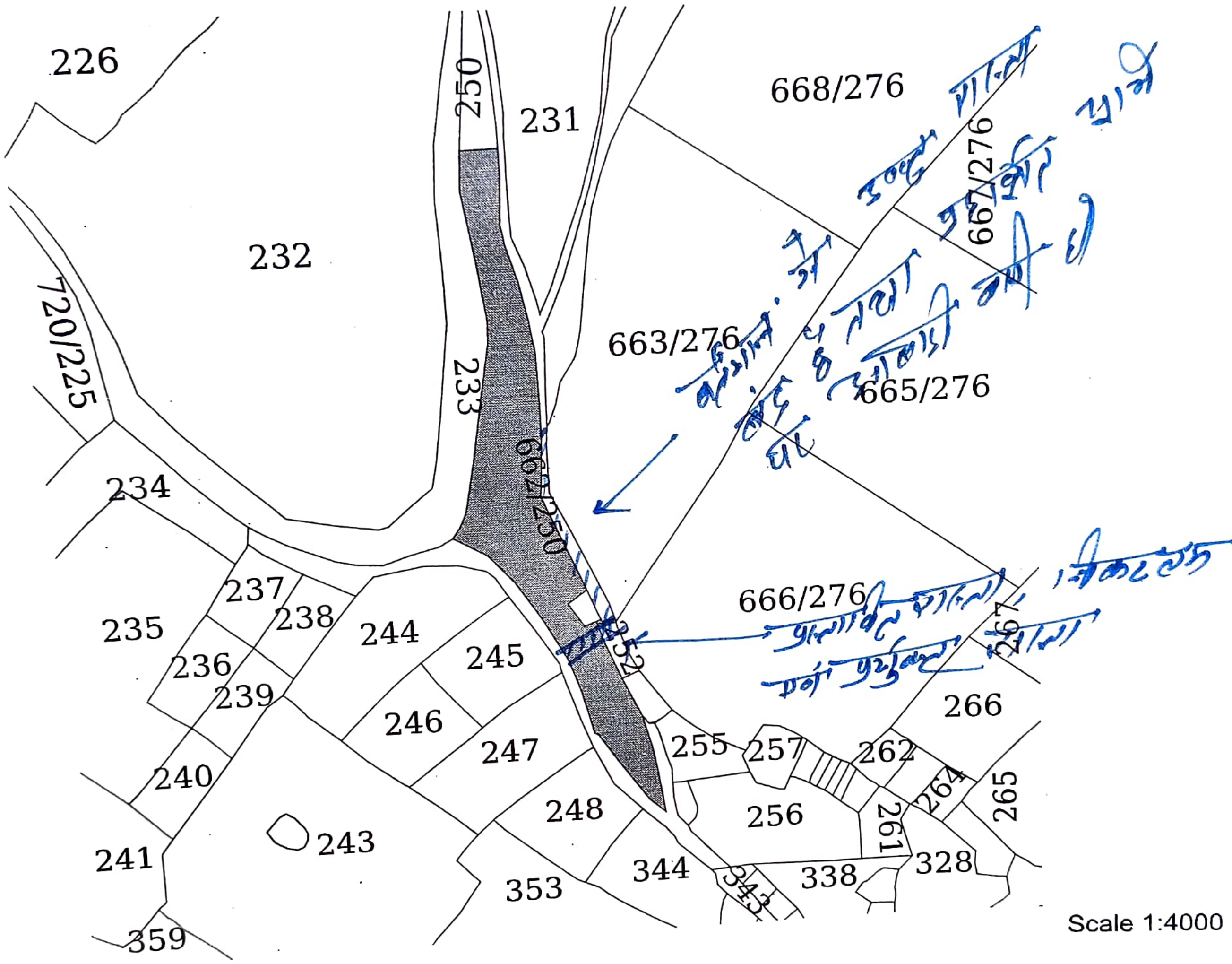

:662/250 : 0.9304 Hectare : 282 :272

[ ]: .. [0.9304]

1.) -

राजकार्य हेतु जारी

24/06/2025

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

पटवारी ...
पटवार मण्डल ...
तहसील ...

:- .

. / /